संख्याः 335 /XXIII/2012/01(36)/2011

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड देहरादून।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आबकारी अनुभाग **देहरादूनः दिनांकः 04 मई, 2012।**

विषय :– वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु आबकारी नीति के नियम–21 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आबकारी विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–327/XXIII/2012/01(36)/2011 दिनांक–25.04.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिसूचना के नियम–21 में वर्तमान प्राविधान को हटाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार प्राविधान प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें है :–

"देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के सस्ते ब्राण्ड (न्यूनतम् प्रत्याभूत अभिकर वाले ब्राण्ड) की बोतलों को प्रदेश के बाहर से आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। प्रदेश के बाहर के विदेशी मदिरा निर्माता को प्रदेश में विदेशी मदिरा के सभी स्कॉच प्रीमियम एवं रेगुलर ब्राण्ड की बोतलों को आयात करने की अनुमति दी जायेगी।"

भवदीय्

सुरेन्द्र सिंह रावत
सचिव

संख्याः 335(i)/XXIII/2012/01(36)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी हरिद्वार को शासन द्वारा प्रेषित पूर्व अधिसूचना सख्या–327/XXIII/2012/01(36)/2011 दिनांक–25.04.2012 के क्रम में इस आशय से प्रेषित की असाधारण गजट में प्रकाशित कराने व आबकारी विभाग को उपलब्ध कराने वाली प्रतियों में उक्तानुसार संशोधन करने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त शासनादेश को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव